तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सरवर खां बनाम लो.सू.अ. (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) सू.अ.अ. अपील संख्या 41 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सरवर खान, महाराजा श्री उम्मेद कायमखानी छात्रावास शिवहाउस रोड़, पावटा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.01.19 में उसके द्वारा (1) अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा सत्र 2013–14 में मेरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए मुझ प्रार्थी सरवर खां पुत्र फुले खान कक्षा बीए–एलएलबी चतुर्थ वर्ष जिसकी टेम्परेरी आईडी T2013RrjM1558 है, का आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) आपके कार्यालय में किस तिथि को जमा हुआ। मय दिनांक संबंधित रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 01 दिनांक 01.04.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया कि श्री सरवर खान पुत्र श्री फुले खान द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक 1638 दिनांक 07.03.19 द्वारा सूचना निर्धारित अवधि में भिजवाई जा चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि उक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई तो पुनः भिजवा दी जायेगी। चूंकि रेस्पो. पक्ष की ओर से प्रार्थी को सूचना अपील प्रस्तुत करने के पश्चांत् डाक द्वारा प्रेषित की गई, जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसका निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। प्रार्थी को सूचना डाक द्वारा प्रेषित करने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	